भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5677
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में केंद्र प्रायोजित योजनाएं

5677. **श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही सभी केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में योजना-वार और जिला-वार विशेषकर कोनासीमा जिले में उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितने लाभार्थियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) को शामिल किया गया है।
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी/उपयोग की गई निधियों का योजना-वार, वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत सृजित/सुदृढ़ की गई अवसंरचना और संस्थागत सुविधाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बाल संरक्षण कर्मियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों का और प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या का जिला-बार विशेषकर उक्त जिले के संबंध में ब्यौरा क्या है; और
(च) उक्त राज्य, विशेषकर उक्त जिले में महिला और बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है और उन्हें

तीन व्यापक मिशनों में समेकित किया गया है अर्थात: (1) पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति और (3) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, देखरेख और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(**i**) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0):** 15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है जिनमें पूरक पोषण (एसएनपी), प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। इन छह सेवाओं में से तीन अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत समग्र आयोजना और नीति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जबकि इसका दैनिक कार्यान्वयन राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के दायरे में आता है।

इसके अतिरिक्त, किशोरियों के लिए योजना को 01.04.2022 से संशोधित किया गया और इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों (14-18 वर्ष) को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है ताकि पोषण घटक के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हो सके और गैर-पोषण घटक के तहत उन्हें आईएफए सप्लीमेंटेशन, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल विकास आदि सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस योजना की लक्षित लाभार्थी आकांक्षी जिलों और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां हैं।

(ii)मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना है। यह मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कार्यनीतियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केंद्रित है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' नामक दो उप-योजनाएं शामिल हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

- **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**-वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) पूरे देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।
- **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-** महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। यह पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता तथा सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देती है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)-** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को शुरु की गई थी। इसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) तथा जीवन चक्र के दौरान बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना ने सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके एक नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है।
- **नारी अदालत**-नारी अदालत योजना ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। इन अदालतों को पंचायत स्तर पर, संकटग्रस्त महिलाओं को घरेलू हिंसा और लिंग आधारित अन्य हिंसा से संबंधित छोटे मामलों को बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलह के माध्यम से हल करने में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए 5,000/-रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को शेष नकद प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रसव के बाद, जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों

के अनुसार प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपए मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा बेटी हो।

- **शक्ति सदन-** व्यापक 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत, कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए पहले की 'स्वाधार गृह' योजना और मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए 'उज्ज्वला गृह' योजना का 1 अप्रैल, 2022 से विलय कर दिया गया जिसे अब 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है। यह एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है जो संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें दुर्व्यापार की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें।
- **सखी निवास-**सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थानों पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
- **पालना-**पालना योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य शिशु गृहों (क्रेच) की पहुंच का विस्तार करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर जगह महिलाओं को काम करने का अवसर मिले और देखरेख संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वे कार्यबल से बाहर न रहें। पालना का लक्ष्य 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे-केयर शिशु गृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करना है।
- **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)-**संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तिकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और हक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में कार्य करता है।

(**iii**) **मिशन वात्सल्य:** मिशन वात्सल्य [पूर्व में बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)] केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच और संरक्षण सेवाएं प्रदान की जा सकें, इसमें मिशन मोड में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल है जिसका उद्देश्य: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता और पालन-पोषण करना, (ii) विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना, (iii) नवीन समाधानों को

प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना और (iv) यदि आवश्यक हो तो पूरक निधि (गैप फंडिंग) देकर समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना है।

इस योजना के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों के लिए आपातकालीन सहायता सेवाएं (24x7) भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत ज़िला-वार लाभार्थियों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों का विवरण नहीं रखा जाता है। आंध्र प्रदेश में मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

मंत्रालय की योजनाओं के तहत, योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है तथा सीधे निर्वाचन क्षेत्रों/ज़िलों को निधि जारी नहीं की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधि का योजना-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में मंत्रालय की योजनाओं के तहत निर्मित/सुदृढ़ किए गए अवसंरचना और संस्थागत सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित है:

• सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर पोषण प्रदायगी हेतु चयनित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र) को सुदृढ़ और उन्नत बनाया जा रहा है। यह कार्य शिक्षा विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए किया जा रहा है। इसके अंतर्गत, भारत नेट के माध्यम से जहां भी संभव हो, इंटरनेट/वाईफाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, जल शोधक/आरओ मशीन की स्थापना, स्मार्ट शिक्षण सहायक उपकरण, ऑडियो-विजुअल सहायक उपकरण और बाल-अनुकूल शिक्षण उपकरण, कलाकृति (शैक्षिक चित्रकला, बच्चों के लिए अभ्यास बोर्ड, सूचना बोर्ड) और वाल पेंटिंग (सफाई, सैंडिंग, मरम्मत) सहित बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कुल 9958 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है और आंध्र प्रदेश राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नत करने के लिए कुल 59.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के क्षेत्रों में कुल 2,500 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के निर्माण की मंजूरी दी गई है। कुल 192 एडब्ल्यूसी स्वीकृत किए गए हैं और

आंध्र प्रदेश राज्य को पीएम-जनमन के तहत एडब्ल्यूसी के निर्माण के लिए कुल 23.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• जनजातीय मामलों का मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का उद्देश्य लगभग 63,843 गांवों में समन्वय, आउटरीच और सैचुरेशन को सुनिश्चित करना है। कुल 177 एडब्ल्यूसी स्वीकृत किए गए हैं और आंध्र प्रदेश राज्य को डीएजेजीयूए के तहत एडब्ल्यूसी के निर्माण के लिए कुल 21.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, बाल संरक्षण कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए आयोजित क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या**
1.	2022-23	178
2.	2023-24	341
3.	2024-25	1866

अनुलग्नक-I

"आंध्र प्रदेश में केंद्र प्रायोजित योजनाएं" विषय पर श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5677 के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश राज्य में मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का विवरण।

मिशन	स्कीम	श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (28.02.2026 तक)		गर्भवती महिलाएं	2,33,506
		स्तनपान कराने वाली माताएं	2,05,786
		बच्चे (0-6 वर्ष)	21,39,899
		किशोरियां	7,847
मिशन वात्सल्य (वित्तीय वर्ष 2024-25)		संस्थागत देखभाल में लाभार्थी	2,152
		गैर-संस्थागत देखभाल में लाभार्थी	14,187
मिशन शक्ति	वन स्टॉप सेंटर (31.12.2025 तक)	सहायता प्राप्त महिलाएं	47,313
	महिला हेल्पलाइन (28.02.2026 तक)	सहायता प्राप्त महिलाएं	22,523
	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (22.03.2026 तक)	भुगतान पाने वाले लाभार्थी	19,77,000
	शक्ति सदन (पिछले तीन वर्षों के दौरान)	शक्ति सदन में लाभार्थी	6,426
	सखी निवास (वित्तीय वर्ष 2024-25)	सखी निवास में लाभार्थी	750

अनुलग्नक-II

"आंध्र प्रदेश में केंद्र प्रायोजित योजनाएं" विषय पर श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5677 के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का योजना-वार और वर्ष-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0**	**मिशन वात्सल्य**	**मिशन शक्ति**
1.	2022-23	827.79	36.78	79.94
2.	2023-24	705.68	25.01	76.57
3.	2024-25	645.73	44.03	50.50
